13/10/25 आज यह पत्रावली हमारे समक्ष
वास्ते आदेश हेतु पेश हुई। वकील
उप.। हमने पत्रावली का अध्ययन किया
गया। वकील की बहस पर मनन किया
गया। प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार
किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग
से लिखा जाकर शा०घो० किया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से
कम हो। बाद पूर्ति होकर दाखिल
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ कोटपूतली–बहरोड़ राज.

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना–II (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना न. :– 26 / 2025

दायर दिनांक :– 04.06.2025

निर्णय दिनांक :– 13/10/25

उनवान

1. यज्ञदत्त पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी महाराजावास तहसील बहरोड़ तहसील बहरोड़।
2. रविदत्त पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी महाराजावास तहसील बहरोड़।
3. मनोज पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी महाराजावास तहसील बहरोड़।
4. रामकला पुत्री बनवारीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी महाराजावास तहसील बहरोड़।
5. सुनिता पुत्री बनवारीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी महाराजावास तहसील बहरोड़।
6. रेखादेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी महाराजावास तहसील बहरोड़।
7. नितिन पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी महाराजावास तहसील बहरोड़।
8. पंकज पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी महाराजावास तहसील बहरोड़।
9. शुभम पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी महाराजावास तहसील बहरोड़।

.........प्रार्थीगण

बनाम्

1. भूमिधारी तहसीलदार बहरोड़ तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़।

..... अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. का.अधि.**

उपस्थित :–

1. श्री दिनेश शर्मा अधिवक्ता वादीगण।

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। पत्रावली के सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि 1. यह कि मिन प्रार्थीगण वाके ग्राम महाराजावास तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ (राज.) के रहने वाले है, ओर प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 के पिता व प्रार्थी संख्या 7 लगायत 9 के दादा बनवारीलाल पुत्र मक्खनलाल जाति ब्राहमण निवासी महाराजावास थे ओर उनकी कृषि भूमि भी वाके ग्राम महाराजावास तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ में स्थित है। हम प्रार्थी संख्या 1 लागयत 6 के पिता व प्रार्थी संख्या 7 लगायत 9 के दादा की कृषि भूमि जिसके खाता संख्या 178 के खसरा नम्बर 1691 रकबा 0.04 है0, 231 रकबा 0.25 है0, 232 रकबा 0.09 है0 है तथा खाता संख्या 179 के खसरा नम्बर 345 रकबा 0.10 है० वाके ग्राम महाराजावास तहसील बहरोड़ में स्थित है। मिन प्रार्थीगण की वाके ग्राम महाराजावास तहसील बहरोड़ की खातेदारी आराजी जिसके हाल खसरा नम्बर 1691, 231, 232 के राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारीगण द्वारा मिन प्रार्थी के पिता बनवारीलाल पुत्र मक्खन का 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया तथा हाल जमाबंदी में क्रम संख्या 7 पर बनवारीलाल पुत्र ओमकार 1/12 हिस्सा का गलत इन्द्राज कर जबकि बनवारी पुत्र ओमकार नाम का कोई व्यक्ति मिन प्रार्थीगण के परिवार में नहीं है। इसलिए बनवारी पुत्र ओमकार का नाम हाल जमाबंदी में से कलमजन किया जाकर मिन प्रार्थीगण के पिता व दादा बनवारीलाल पुत्र मक्खन का 1/3 हिस्सा राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

रिकॉर्ड हाल जमाबंदी में अंकित किया जाना न्यायोचित है। इसी प्रकार मिन प्रार्थीगण की की कृषि भूमि के खाता संख्या 179 के आराजी खसरा नम्बर 345 के राजस्व रिकॉर्ड हाल जमाबन्दी में मिन प्रार्थीगण के पिता व दादा बनवारीलाल पुत्र मक्खनलाल का 1/8 हिस्सा दर्ज कर दिया तथा हाल जमाबंदी में क्रम संख्या 7 पर बनवारी पुत्र ओमकार 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया जबकि हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में बनवारीलाल पुत्र ओमकार का नाम कलमजन किया जाकर बनवारीलाल पुत्र मक्खनलाल का 1/4 हिस्सा दर्ज किया जाना न्यायोचित है। जमाबंदी संवत 2042 2061 की सत्य प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है। अतः श्रीमान से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम महाराजावास तहसील बहरोड़ के खाता संख्या 178 के खसरा नम्बर 1691, 231, 232 में मिन प्रार्थी के पिता व दादा बनवारीलाल पुत्र मक्खन का 1/3 हिस्सा दर्ज किया जाकर बनवारीलाल पुत्र ओमकार का नाम कलमजन किया जावे। इसी प्रकार खाता संख्या 179 के खसरा नम्बर 345 में मिन प्रार्थी के पिता व दादा बनवारीलाल पुत्र मक्खन का 1/4 हिस्सा दर्ज किया जाकर बनवारी पुत्र ओमकार का नाम कलमजन किया जाने के कृपा करे। आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा न्यायालय हा में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र को वादीगण स्वंय सिद्व करे बाबत अंकित किया है।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। जमाबन्दी संवत 2061–2064 में बनवारी पुत्र मक्खनलाल 1/4 ओमकार इन्द्राज पि. मूलचन्द स.भा. हि. 1/6 मोजीराम छाजूराम पि. मुखराम 1/4 सा. देह मुकेष कुमार पि. कन्हैया चमेली बेबा कन्हैया राजबाला पुत्री कन्हैया स.भा. 1/3 हि. बिशम्बर पुत्र लक्ष्मीनारायण माया रामप्यारी सन्तोष पुत्रीयान लक्ष्मीनारायण स.भा. हि. 5/12 बनवारीलाल सम. 1/3 हि. ब.सा.देह निर्से मुखराम पुत्र खुबाराम निस्फ ब्राहाम्ण सा. देह. खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2024 में मक्खनलाल पुत्र कबुल 1/4 ओमकार इन्द्राज लक्ष्मीनारायण पि. मूलचन्द समभाग 1/4 मौजीराम छाजूराम मुखराम 1/4 सा. देह दुगोप्रसाद पुत्र चिरंजीलाल ब्राहम्ण सा.देह कोटपूतली खातेदार दर्ज है। जिसकी हाल जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 179 के क्रम संख्या 6 पपर बनवारी पुत्र मक्खन हिस्सा 1/4 ब्राहम्ण सा.देह खातेदार व क्रम संख्या 7 पर बनवारीलाल पुत्र औमकार हिस्सा 1/12 जाति ब्राहम्ण सा.देह दर्ज किया गया है। जिसके संबध में पटवारी हल्का महाराजावास ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 15.04.2025 में अंकित किया है कि वाके ग्राम महाराजावास खसरा नम्बर 1691 रकबा 0.04, खसरा नम्बर 231 रकबा 0.25 है0 , 232 रकबा 0.09 में बनवारी पुत्र औमकार हिस्सा 1/12 जाति ब्राहम्ण एवं खसरा नम्बर 345 रकबा 0.10 में बनवारीलाल पुत्र मक्खनलाल हिस्सा 1/8 जाति ब्राहम्ण दर्ज रिकार्ड संलग्न जमाबन्दी दस्तोवज जमाबन्दीइ संवत 2042,2045,2053,2057 में भी उपयुक्त दिए गए खसरावार विवरण दर्ज है। अब प्रार्थी उपयुक्त खसरो में बनवारीलाल पुत्र मक्खन शुद्व कर सही करवाना चाहता है। जिस पर उक्त पटवारी रिपोर्ट अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक महाराजावास ने रिकोर्ड को जॉच कर धारा 136 के तहत शुद्व किये जाने की अभिशंषा की है। प्रार्थीगणो द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत महाराजावास का प्रस्तुत प्रमाण पत्र में प्रमाणित किया है कि बनवारी पुत्र मक्खन जाति ब्राहम्ण ग्राम महाराजावास

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड के निवासी है। बनवारी पुत्र औमकार जाति ब्राहम्ण नाम का कोई व्यक्ति है। बाबत प्रमाणित किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व पटवारी हल्का कि रिपोर्ट दिनांक 15.04.2025 एवं प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्णतया सिद्व पाया जाता है।

–: आदेश :–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम महाराजावास तहसील बहरोड़ के खाता संख्या 178 के खसरा नम्बर 1691, 231, 232 में मिन प्रार्थी के पिता व दादा बनवारीलाल पुत्र मक्खन का 1/3 हिस्सा दर्ज किया जाकर बनवारीलाल पुत्र ओमकार का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार खाता संख्या 179 के खसरा नम्बर 345 में मिन प्रार्थी के पिता व दादा बनवारीलाल पुत्र मक्खन का 1/4 हिस्सा दर्ज किया जाकर बनवारी पुत्र ओमकार का नाम कलमजन किया जाने के आदेश दिये जाते है तथा हाल कागजात माल में दुरूस्त किया जाने के आदेश दिये जाते है। अहकाम बनाम तहसीलदार जारी किया जावे।

आज दिनांक 13/10/25 को यह निर्णय मेरे लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

रामकिशोर मीना–II)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड)